1017
16/2/13

खण्ड-2

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या-17

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 21 जून, 1995 ई०

2. यदि उपर्युक्त खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. वर्त्तमान वित्तीय अधिसीमा में इस योजना को लेना संभव नहीं है।

पटवन कर माफ करना

***1318. यदुवंश सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

1. क्या यह बात सही है कि निम्न किउल घाटी परियोजना पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है, जबसे इस परियोजना का निर्माण हुआ है तबसे अबतक चैनेल की सतह पर जमी मिट्टी की सफाई नहीं की गई है एवं इसके बायें बाजू के दो तथा दायें बाजू का एक स्लूईस गेट वर्ष 1990 में टूट गये हैं, जिससे जल स्राव क्षमता काफी कम हो गई है;

2. क्या यह बात सही है कि जल श्राव कम हो जाने के कारण बहुत बड़े भू–भाग की सिंचाई नहीं हो पाती है, लेकिन किसनों से पटवन कर वसूल किया जाता है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परियोजना की शीघ्र मरम्मती कराते हुए किसानों के पटवन कर माफ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों;

श्री जगदानन्द सिंह : 1. वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1959 में निम्न किउल घाटी परियोजना का निर्माण 110 लाख रुपये की लागत से किया गया था। विगत् 35 वर्षों में इसका पूर्ण जीर्णोद्धार निधि के अभाव में नहीं हो सका है। प्रश्नगत स्लूईस गेटों के क्षतिग्रस्त रहने के पश्चात् भी बायें मुख्य नहर को रूपांकित सिंचाई क्षमता 18,000 हे० के विरूद्ध 14,000 हे० एवं दायें नहर की रूपांकित सिंचाई क्षमता 4,200 हे० के विरूद्ध 3,200 हे० में सिंचाई सुविधा दी जा रही है। बायें नहर का जलश्राव 750 घनफुट के विरूद्ध 600 घनफुट तथा दायें नहर का 212 घनफुट के विरूद्ध 140 घनफुट है।

2. 35 वर्ष पुरानी परियोजना के कारण पूर्ण परियोजना के कारण पूर्ण सिंचाई लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई होना स्वाभाविक है। किसानों से पटवन कर सिंचाई क्षेत्र के सूदकार के आधार पर ही लिया जाता है।

3. प्रश्नगत परियोजना हेतु सम्पोषण मद में प्रत्येक वर्ष आवंटित राशि से आवश्यकतानुसार टूटे भागों की मरम्मति कर सिंचाई दी जाती है। वर्ष 1986 में पूर्ण परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए पोस्ट फैक्टो स्टडी कराई गई थी जिसके अनुसार प्रश्नांकित परियोजना के पूर्ण मरम्मती एवं जीर्णोद्धार पर लगभग 8.80 करोड़ रुपयों की लागत आयेगी।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में, इतनी बड़ी राशि को एक साथ उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं है। फिर भी, बायें नहर के गेट एवं अण्डर स्लूइस के दो गेटों तथा दायें नहर के अण्डर स्लूइस के एक गेट की मरम्मति हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।